

पीएसबी द्वारा जब्त संपत्तियों के लिये प्रस्तावति एक साझा ई-नीलामी मंच

चर्चा में क्यों?

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से कहा है कि वे विभिन्न चूककर्तृताओं से जब्त संपत्तियों की नीलामी हेतु एक साझा मंच स्थापित करें। जब्त की गई संपत्तियों के लिये साझा ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के इस वर्ष परचालित होने की उम्मीद है।

क्या है योजना?

- ऐसी संपत्तियों हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावति एक "ई-नीलामी बाज़ार" बोली लगाने वालों के लिये एक अच्छा आधार और बेहतर मूल्य प्राप्त सुनिश्चित करेगा।
- मंत्रालय ने राज्य द्वारा संचालित बैंकों से भारतीय बैंक एसोसिएशन के साथ मिलकर इस मंच को सुवर्धाजनक बनाने के लिये अपनी वेबसाइटों को फरि से डिज़ाइन करने के लिये कहा है।
- योजना के अनुसार, संपत्तियों का विवरण, उनकी तस्वीरें, संपत्ति शीर्षक, नीलामी राश और अन्य सूचनाएँ इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी और इसका उपयोग संभावति बोली लगाने वालों द्वारा कयि जा सकेगा।

क्यों है एक साझा मंच की आवश्यकता?

- वर्तमान में कई राज्य संचालित बैंक सरफेसी अधिनियम के तहत देश भर में जब्त की गई संपत्तियों की नीलामी करते हैं। हालाँकि, नीलामी के समय बैंक अधिक संख्या में बोली लगाने वालों को आमंत्रति नहीं कर पाते हैं और बोली लगाने वालों के बीच व्यावसायिक समूहन होने के जोखिम का भी सामना करते हैं, जो कजान-बूझकर कीमतें कम करवाने का प्रयास करते हैं।
- बकिरी योग्य संपत्तियों के डेटाबेस डिज़ाइन में कोई समानता नहीं है और नीलामी की जानकारी राज्य संचालित बैंकों की वेबसाइटों पर आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य संचालित बैंक नीलामी के लिये अपनी लागत स्वयं वहन करता है।

बैंक कैसे लाभान्वति होंगे?

- इस मंच के द्वारा संपत्तियों के लिये बैंकों को बेहतर मूल्य मल्लिगा। बोली लगाने वालों के द्वारा इन संपत्तियों की जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त होने के कारण यह ऐसी संपत्तियों की नीलामी में बोली लगाने वालों की नमिन स्तर की रुचि में सुधार करेगा।
- इस मंच के माध्यम से बैंक संभावति बोली लगाने वालों की बड़ी संख्या तक पहुँच प्राप्त कर सकेंगे। यह बड़े पैमाने पर मतिव्ययता के माध्यम से नीलामी वाली संपत्तियों की लागत में कटौती कर सकता है।
- वर्तमान में यदि नीलामी की घोषणा पर कमज़ोर प्रतिक्रिया प्रदर्शति होती है, तो बैंकों को नीलामी की हर बोली के साथ आरक्षति मूल्य में कटौती करने के लिये मजबूर होना पड़ता है। साझा मंच उपलब्ध होने से इसका समाधान हो जाएगा।

कौन से अन्य उपाय वसूली में सुधार कर सकते हैं?

- कई बैंकों ने तनावग्रस्त संपत्तियों के लिये कार्यक्षेत्र स्थापति कयि हैं। दिवालिया अदालतों में ऐसे मामलों की सुनवाई के बावजूद, अपनी फर्मों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिये ऋण चुकाने का प्रयास कर रहे प्रमोटर्स के प्रतबैंक आशान्वति रहते हैं।
- ऋण वसूली टरबियूनल (डीआरटी) में दायर मामलों के लिये न्यूनतम ऋण डिफॉल्ट सीमा 20 लाख रुपए तक बढ़ाने का केंद्र का प्रयास और डीआरटी प्रक्रिया को ऑनलाइन स्थानांतरति करने से संबंधति मसले को हल करने से इसमें मदद मल्लिगी। यह बैंकों के लिये उच्च मूल्य वाले मामलों में त्वरति नरिणय सुनिश्चित करेगा।

